न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–101/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/00101)

श्री चन्दीराम पुत्र श्री नारूमल जाति सिन्धी, निवासी मदारगेट, अजमेर तहसील व जिला अजमेर जरिए वसीयती वारिसान

1. श्री भगवान पुत्र स्व0 श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
2. रमेश पुत्र स्व0 श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
   निवासीगण एम 73 बी, रैम्बुल रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री रामा जाति रावत (फौत तर्क किया)
2. मदन सिंह पुत्र स्व0 श्री रामा जाति रावत
3. किशन सिंह पुत्र स्व0 श्री रामा जाति रावत
4. गोपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री रामा जाति रावत
5. लेखराज पुत्र कालु जाति रावत
6. छोगा पुत्र स्व0 श्री पीथा जाति रावत
7. भोमा पुत्र स्व0 श्री पीथा जाति रावत
8. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री पीथा जाति रावत (फौत जरिए वारिसान)
   8/1 श्रीमती बन्नी पत्नी स्व0 श्री लक्षमण जाति रावत
   8/2 नानू पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति रावत
   समस्त निवासीगण ग्राम परबतपुरा तहसील अजमेर।
9. मोहन पुत्र श्री हजारी जाति रावत (फौत जरिए वारिसान)
   9/1 श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 श्री मोहन जाति रावत
   9/2 भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन जाति रावत
   9/3 शैतान सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन जाति रावत
   9/4 जयसिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन जाति रावत
   9/5 बरदी पुत्री स्व0 श्री मोहन जाति रावत
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
11. सेटलमेंट कमिश्नर पुनर्वास एवं पदैन कलक्टर अजमेर हाल पुर्नवास कलक्टर अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 03.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 81/2003

उपस्थितः–

1. श्री के0डी0 खान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 व 8/1 से 8/2
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10 व 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 9/1 से 9/5 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–22.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनते हुए उक्त प्रकरण को दिनांक 03.03.2020 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 9/1 से 9/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.2020 कि जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.3.2020 को ही प्रस्तुत कर दिया गया परंतु कोविड 19 के कारण लॉकडाउन दिनांक 22.3.2020 से 29.6.2020 तक स्थापित करते हुए न्यायालय का कार्य स्थगित किया एवं पक्षकारान तथा अधिवक्तागण का न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के संदर्भ में पाबंदी लगाई गई इस कारण अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 26.6.2020 को ही प्राप्त हुई तथा दिनांक 27 व 28 जून 2020 का राजकीय अवकाश होने के कारण अपील बिना किसी विलंब के प्रस्तुत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कथन गलत, मिथ्या एवं बनावटी होने से अस्वीकार है। जिसके संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक रेस्पोडेंट सं० 9 मोहन पुत्र हजारी की मृत्यु दिनांक का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कितनी समयावधि हेतु न्यायालय से अनुतोष चाहा है, जिसका भी उल्लेख जानबूझ कर एवं बदनीयति पूर्वक नहीं किया गया है। कारण कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृतक पक्षकार की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समयावधि नीयत है, जिससे अपीलांट का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन् पोषणीय नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि मृतक रेस्पोडेंट सं० 9 मोहन पुत्र हजारी जाति रावत का स्वर्गवास काफी वर्षों पूर्व यानि दिनांक 31.05.2005 में ही हो चुका है, जिसकी पुष्टि में मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में संलग्न है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जो कि मृतक पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि कानूनन् अबैट होने से मूल अपील चलने योग्य नहीं है, साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि मियाद बाहर होने से मृतक के वारिसान् के विरूद्ध कानूनन् पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो कि विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नंबर 443 रकबा 1–4–10 वर्किंग खसरा नंबर 451 रकबा 1–4–10 के वर्तमान खसरा नंबर 423/1465 तथा चौसाला खसरा नंबर 461 रकबा 0–10–10 के वर्किग खसरा नंबर 467 रकबा 0–10–10 के वर्तमान खसरा नंबर 443 चौसाला खसरा नंबर 462 रकबा 2–4–0 के वर्किंग खसरा नंबर 468 रकबा 2–4–0 के वर्तमान खसरा नंबर 444 एवं चौसाला खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

427 रकबा 0–16–10 वर्किंग खसरा नंबर 438 रकबा 0–16–10 के वर्तमान खसरा नंबर 447 जो ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर की भूमि जो कि वादी/अपीलार्थी को, (निष्क्रान्त भूमि) कलक्टर (पुर्नवास) अजमेर के द्वारा दिनांक 15.10.1990 को आवंटित की गई थी तत्पश्चात वादी के पक्ष मे आवंटित भूमि की सनद 16.11.1991 दिनांक को कलक्टर एवं सेटलमेंट कमीश्नर अजमेर के द्वारा जारी कर दिनांक 12.12.1991 को पंजीबद्ध करवा दी गई ततपश्चात पंजीबद्व सनद के अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी मे वादी/अपीलार्थी को खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार भी वादी/अपीलार्थी ही खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 85/2003 का निस्तारण करने से पूर्व विवादित अपीलाधीन भूमि की वास्तविक मौका रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर से तलब की गई कि जिस पर तहसीलदार अजमेर, हल्का पटवारी खानपुरा के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 प्रस्तुत की गई कि इस मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 से 7 के द्वारा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर मिट्टी उठाकर खड्डे खोदकर, मिट्टी खोदकर अन्य व्यक्ति को ईट निर्माण हेतु भारी मात्रा में बेचान भी की गई है, कृषि भूमि को नष्ट की गई तथा कृषि भूमि के उपजाऊ भी नष्ट की गई है, विवादित कृषि भूमि का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया गया ऐसी अवस्था मे अपीलाधीन कृषि भूमि कि जिसमे भारी मात्रा मे उपजाऊ मिट्टी उठाने एवं खड्डे खोदने से काश्त योग्य ही नहीं रहेगी, जो कि रिसिवर कायम किये जाने का मुख्य आधार था जो कि तहसीलदार एवं पटवारी हल्का की मौका पर्चा दिनांक 19.02.2020 से स्पष्ट जाहिर है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित कर वादी/प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 212 (2) बाबत रिसवरी कायम को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार अजमेर से विवादित भूमि की वास्तविक मौका रिपोर्ट तलब की गई जो कि तहसीलदार, पट्टवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के संदर्भ मे किसी भी प्रकार से विवेचन ही नहीं किया गया जब कि विधिक प्रावधानो के अनुसार मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि जो कि कब्जे को लेकर इनमिडियों है तथा मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि पर मिट्टी उठाकर खड्डा खोदकर भारी मात्रा मे नुकसान किया है जो कि धारा 212 (2) के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को रिसिवर कायम किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन भूमि कि जिसका वादी/अपीलार्थी राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदार दर्ज है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया जो कि वाद के दौरान विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु रिसिवर कायम किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था, विवादित भूमि प्रोपटी इन मिडियों जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 को निरस्त किए जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आरआरडी 1989 पेज 470, आरबीजे 2007(14) पेज 260, आरआरटी 2003(2) पेज 1216, आरआरडी 1993 पेज 498, आरआरडी 2005 पेज 172, आरआरडी 1986 पेज 522, आरआरडी 1956 पेज 173.

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा का कोई आवंटन प्रार्थी को विधिवत् तौर पर नहीं किया गया है व ना ही प्रार्थी को कोई कब्जा आराजी मुतनाजा पर आवंटन के तहत् दिया गया है। अतः प्रार्थी का आवंटन कतई अवैध व उत्तरदाता के विरूद्व शून्य प्रभावी है। जिस आवंटन आदेश दिनांक 15.10.90 के जरिये प्रार्थी आराजी मुतनाजा का आवंटन अपने पक्ष में होना कहता है वह भी चीफ सेटलमेंट कमिशनर जयपुर के समक्ष अपील में विचाराधीन है। उत्तरदाता आराजी मुतनाजा पर वैध रूप से काबिज चला आ रहा है व उत्तरदाता का कब्जा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पूर्व से ही आराजी मुतनाजा है व उत्तरदाता आराजी मुतनाजा का रिकार्डड खातेदार है। उत्तरदाता ने आराजी मुतनाजा पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि उत्तरदाता आराजी मुतनाजा पर बतौर काश्तकार काबिज है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा का खातेदार नहीं है व ना ही उसे विधिवत् तौर पर कोई आवंटन विवादित भूमि का हुआ है उसने गलत तौर पर नियमों के विपरीत जो आवंटन कराया है उसे उत्तरदाता ने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर जयपुर के समक्ष अपील में चुनौति दे रखी है। अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उत्तरदाता आराजी मुतनाजा का काश्तकार है व उसने आराजी मुतनाजा को बहुमूल्य प्रतिफल के बदले खरीद किया है व विपक्षी का वाद बेदखली का है। अतः बिना दावे के निर्णय ही उत्तरदाता को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाना न्याय सिद्वान्तों के कतई विपरीत है व उत्तरदाता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्राथी ने नहीं लगाया है। अतः धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो की पूर्ति नहीं होने से रिसीवर नियुक्त किये जाने का प्रार्थी की प्रार्थना कत्तई अमान्य है। जब तक धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार रेज, डेमेज, एलीनेशन का कोई कथन या कोई आरोप नहीं है व ना ही उत्तरदातागण आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं कर रहे है और ना ही खुर्द्द–बुर्द्द करने की उनकी कोई मंशा ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मनगढंत तथ्यों के आधार पर दावे के निर्णय से पूर्व ही उत्तरदातागण को बेदखल करना चाहता है जबकि रिसीवर नियुक्ति के कोई आधार दावे में विद्यमान नहीं है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा का ना तो खातेदार है और ना ही उसे विधिवत तौर पर कोई आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थी के पक्ष में ना तो कोई सुविधा का संतुलन है और ना ही कोई प्रथम दृष्टया केस ही उसके पक्ष में है अत. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2022 आरबीजे पेज 349, 2021 डीएनजे (3) पेज 946 राजस्थान हाई कोर्ट।

9. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अपीलाधीन भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है कि इसी राजस्व वाद के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुनते हुए उक्त प्रकरण को दिनांक 03.03.2020 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.12.2020 को तैयार मौका पर्चा के अवलोकन से यह पाया कि खसरा नम्बर 423/1465 में से मिट्टी उठाई गई थी तथा वर्तमान में यह खसरा पडत पडा है तथा शेष खसरान भी मौके पर पडत/खाली है। उक्त खसरा नम्बर पर राजस्व रिकार्ड खानपुरा जमाबंदी संवत 2070–2073 में चंदीराम पुत्र नारूमल जाति सिंधी के नाम दर्ज है। उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बरों पर रामा के वारिसान कमला वगैरह व कालू के वारिसान व लेखराज व पीथा के वारिसान छोगा, भोमा वगै0 काश्त किया करते थे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा भूमि खुर्द–बुर्द कर मिट्टी उठाकर खड्डे खोदकर मिट्टी खोदकर अन्य व्यक्ति को ईट निर्माण हेतु भारी मात्रा में बेचान की गई है व कृषि भूमि को नष्ट की गई है। परंतु उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलांट द्वारा कहे गए कथन में कोई प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है क्यों कि रेस्पोडेंट द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त की जा रही है मौका रिपोर्ट में इस बाबत कोई भी कथन अंकित नहीं है कि उनके द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है या किसी प्रकार की क्षति कारित की जा रही है या मौके पर किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां है। क्यों कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते रिसीवर नियुक्त किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। जबकि अपीलांट का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली हेतु विचाराधीन है। चूंकि अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से जो अनुतोष चाह रहे है वह दिया जाना उचित नहीं है क्यों कि उनका मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और वह प्रार्थना पत्र वास्ते रिसीवर के जरिए वही अनुतोष न्यायालय हाजा से चाह रहे है जो किसी भी परिस्थिति में दिया जाना उचित नहीं है। चूंकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का वाद विवाद हो या उक्त भूमि इनमिडियों रही हो अपीलांट द्वारा इस बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। न्यायालय हाजा द्वारा यदि प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश प्रसारित किया जाता है तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि उभयपक्षकारन के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद लंबित है व अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से वही अनुतोष चाह रहे है जिससे संबंधित वाद अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 183 के तहत लंबित है चूंकि यदि रेस्पोडेंट को उक्त आराजीयात से रिसीवर बाबत बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को वही अनुतोष न्यायालय हाजा में प्राप्त होगा जो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 183 में चाह रहे है तथा जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जाना है, अतः निर्णय के पश्चात ही पक्षकारान के मध्य हक अधिकार तय होंगे। अतः दौराने वाद किसी प्रकार का नवीन आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा क्यों कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो रिलिफ रिसीवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मांगी गई है वह बिना किसी विषम परिस्थिति के प्रकरण में पारित नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा को दृष्टिगत हुई है। चूंकि रिसीवर नियुक्ति का आदेश न्यायालयों का सबसे सख्त आदेश है जो प्रकरण में बिना किसी विषम परिस्थिति के दिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया **2022 आर0बी0जे 349 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 212–सपठित धारा 151– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–**"*रिसीवर की नियुक्त एक कठोर कदम है, व एक काबिज काश्तकार को रिसीवर की नियुक्ति के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है।*" हस्तगत प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में उसे रिसीवर जैसे कठोरतम आदेश से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई विषम परिस्थिति उभयपक्षकारन के मध्य नहीं है कि न्यायालय को अपने सबसे कठोरतम आदेश को प्रभाव में लाना पडे। इस बाबत हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। " *जहां पर स्पष्टतया पजेशन प्रतिवादी का मानकर दावा बेदखली(इजेक्टमेंट) का किया गया हो और जहां पर टाईटल डिस्प्यूड में हो और एडमिटेडली वादी किसी विवादग्रस्त दस्तावेज के आधार पर पजेशन से बाहर हो तो रिसीवर कायमी न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है अन्यथा प्रतिवादी दावे का फैसला होने के पूर्व ही कब्जे से बाहर हो जाएगा।* ***(जगदीश व अन्य बनाम ठाकर राम व अन्य, 1993 आरआरडी 513, पृष्ठ 515)*** " उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है वह दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/04/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner